आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0-144/2017

अक्षय कुमार सिंह

बनाम्

जिला पदाधिकारी, सिवान

आदेश

15.07.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक-10मु0/प्रो0, दिनांक 01.09.2016 द्वारा अपीलकर्त्ता श्री अक्षय कुमार सिंह, तत्कालीन लिपिक-सह-टंकक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, बड़हरिया, जिला-सिवान को सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर लाया गया है।

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्त्ता, श्री अक्षय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बाल विकास परियोजना कार्यालय, लकड़ी नबीगंज में करते हुए आदेश दिया गया कि ऑडिट कराते हुए अपना संपूर्ण प्रभार प्रतिस्थानी को चार दिनों के अन्दर सौपें। अपीलकर्त्ता द्वारा निर्धारित अवधि में प्रभार नहीं सौपें जाने के कारण उन्हे प्रभार सौपने के लिए पत्र द्वारा पुनः निदेशित किया गया। इस पर भी अपीलकर्त्ता द्वारा प्रभार नही सौपे जाने के कारण ज्ञापांक 2157/प्रो0, दिनांक 30.04.2013 द्वारा कारण-पृच्छ करते हुए दो दिनों के अन्दर प्रभार सौपने का निदेश दिया गया, परन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा प्रभार नहीं सौपा गया। तत्पश्चात पत्रांक 2226/प्रो0 दिनांक 08.05.2013 के द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ (I.C.D.S) निदेशालय, बिहार, पटना को भेजा गया। निदेशक (I.C.D.S) निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा अपीलकर्त्ता को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, सिवान को संचालन पदाधिकारी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सिवान को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया। विभागीय कार्यवाही के बीच में संचालन पदाधिकारी के सेवानिवृत हो जाने के कारण निदेशक (I.C.D.S), बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत अपर समाहर्त्ता, राजस्व, सिवान समाहरणालय को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया तथा शेष बिन्दुओं को यथावत रखा गया। इसी बीच अपीलकर्त्ता द्वारा चेक पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सिवान का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक में फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया, जिसके लिए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध नगर थाना, सिवान में I.P.C की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया गया तथा इसकी सूचना एवं पूरक प्रपक-'क' निदेशक (I.C.D.S) बिहार, पटना को भेजा गया। निदेशक (I.C.D.S) बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत पूरक प्रपत्र-'क' को पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में समाहित करते हुए विभागीय कार्यवाही सम्पन्न किया गया। इस क्रम में संचालन

Scanned with OKEN Scanner

पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सिवान द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपो को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन की प्रति अपीलकर्त्ता को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करने का दण्ड दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा आयुक्त, न्यायालय के स्तर पर सेवा अपीलवाद सं0– 144/2017 दायर किया गया। वाद की सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C No. 2433/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 09.10.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नांकित है;

".....this writ petition is disposed of directing the Commissioner, Saran at Chapra to pass the final order within three months from the date of production of the order before him on the appeal filed by the petitioner if the appeal is not disposed of. In the event, if the appeal has already been disposed of then petitioner shall be at liberty to raise his claim before this Court on fresh cause of action."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.02.2024 को अवगत कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाद की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की गयी है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश के निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर चुनौती देते हुए कहा गया कि;

(i) बाल विकास परियोजना के तहत कार्यरत कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकार निदेशक (I.C.D.S), बिहार, पटना होते है, ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी, सिवान को अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दण्डादेश पारित करने का अधिकार नहीं था। जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दण्डादेश पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

(ii) अपीलकर्त्ता द्वारा अपने विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी, सिवान से किया गया था, जो उन्हे नहीं उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, सिवान के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय एवं

Scanned with OKEN Scanner

सर्वोच्च न्यायालय के कई दृष्टांत प्रस्तुत किए गए कि आरोपित कर्मी को कागजात उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभागीय कार्यवाही ही रद्द कर दिया गया है, परन्तु जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा उक्त पर कोई विचार नहीं किया गया है।

(iii) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिस जॉच प्रतिवेदन को आधार बनाकर दण्डादेश पारित किया गया है, वह प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है, क्योकि वृहद शास्तियों को अधिरोपित करने हेतु **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 की धारा-17 के उपधारा-14** का पालन नहीं किया गया है। एक भी साक्षी का साक्ष्य परीक्षण/प्रतिपरीक्षण किए बिना आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित कर दिया गया है।

(iv) संचालन पदाधिकारी द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य को ही आधार मानकर अपना जॉच प्रतिवेदन दिया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ***याचिका सं0-4031/14, सियाराम महतो बनाम राज्य सरकार*** में उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आधार पर पारित दण्डादेश को रद्द किया गया है।

(v) अपीलकर्त्ता श्री सिंह के विरूद्ध किस आधार पर आरोप लगाए गए है, यह आरोप पत्र में अंकित नहीं है। केवल कुछ पत्रों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोपो को प्रमाणित मान लिया गया है। जबकि उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ***(Marge Ram Vs Lok Sabha Secretariate 1991-1 LLN-520 Delhi High Court)*** द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पत्रों को तब तक साक्ष्य नहीं माना जायेगा जब तक कि पत्र लेखक या उसके प्रतिनिधि का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण न कर लिया जाये। प्रस्तुत वाद में पत्र लेखक या उसके किसी प्रतिनिधि का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसे में पत्रों को साक्ष्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

(vi) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्त्ता पर फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से राशि की निकासी किए जाने का मामला बिलकुल तथ्यहीन है। अपीलकर्त्ता पर फर्जी निकासी किए जाने के आरोप के किसी बिन्दु की जॉच नहीं करायी गयी है।

(vii) अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत मामले में फौजदारी मुकदमा सम्प्रति लंबित है। सिद्धांत यह है कि फौजदारी मुकदमा के आरोप एवं विभागीय कार्यवाही के आरोप यदि एक जैसे ही हो तो यह धारित किया गया है कि विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष, फौजदारी के कार्यवाही के फैसला को प्रभावित करेगा और इसलिए फौजदारी कार्यवाही के लंबित रहने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जाय, जिसकी पुष्टि हेतु ***कुशेश्वर दुबे बनाम भारत कोकिंग कोल ए0आई0आर0 1988 एस0सी0 2118 तथा Prahalad Padhi Vs. Secretary***

Scanned with OKEN Scanner

Department of Water Resources & others 2009 (6) S.L.R 472 (MI) का दृष्टांत भी जिला पदाधिकारी, सिवान के समक्ष रखा गया था। परन्तु उनके द्वारा उक्त दृष्टांत पर विचार न कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलकर्त्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश को रद्द किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता श्री अक्षय कुमार सिंह, तत्कालीन लिपिक-सह-टंकक, बाल विकास परियोजना कार्यालय को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बाल विकास परियोजना कार्यालय, लकड़ी नबीगंज में प्रतिनियुक्त करते हुए चार दिनों के अन्दर ऑडिट कराते हुए अपना प्रभार प्रतिस्थानी को सौपे जाने का आदेश कार्यालय ज्ञापांक 3895/प्रो0, दिनांक 15.12.2012 द्वारा दिया गया था। इस क्रम में पुनः ज्ञापांक 2157/प्रो0, दिनांक 30.04.2013 द्वारा प्रभार सौपे जाने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा प्रभार नहीं सौपा गया। जिसके फलस्वरूप निदेशक, I.C.D.S, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत प्रपत्र-'क' का गठन कर अपीलकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया है।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में अंकित तीन आरोप यथा

(i) कार्यालय आदेश ज्ञापांक-3895, दिनांक 15.12.2012 द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, लकड़ी नबीगंज में प्रतिनियुक्त किए जाने तथा प्रतिस्थानी को प्रभार नहीं सौपा जाना।

(ii) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय का प्रभार रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं होने के कारण दिनांक 31.12.2012 को नवपदस्थापित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के प्रभार का आदान-प्रदान नहीं किया जा सका। बार-बार स्मारित करने के बाद भी रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं किया गया।

(iii) दिनांक 08.05.2013 को जिलाधिकारी, सिवान के द्वारा कार्यालय निरीक्षण में रोकड़ पंजी एवं चेक बुक एवं अन्य अभिलेख लेकर कार्यालय से अनाधिकृत रूप से गायब रहने के कारण जिलाधिकारी, सिवान द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा सका।

इसके अलावा पूरक प्रपत्र-'क' में गठित आरोप कि,

(i) अपीलकर्त्ता, जिला प्रोग्राम शाखा, सिवान के साथ-साथ महिला हेल्प लाईन एवं अल्पावास गृह के कैश के प्रभार में थे। इनके द्वारा कैश बुक का संधारण नहीं किया गया और न

Scanned with OKEN Scanner

ही प्रभार का हस्तांतरण किया गया। साथ ही गलत मंशा से कार्यालयों के चेक बुक और चेक पंजी अपने पास न्यु होटल, सिवान में रखे हुए थे। अपीलकर्त्ता द्वारा Axis Bank के खाता सं0 910010000489765 से मो0–1123000=00 (ग्यारह लाख तेईस हजार) रूपये की निकासी फर्जी हस्ताक्षर कर विभिन्न तिथियों को किया गया है। फर्जी निकासी के आरोपो के लिए अपीलकर्त्ता के विरूद्ध नगर थाना, सिवान में प्राथमिकी सं0 18/114, दिनांक 14.01.2014 दर्ज कराया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता के विरूद्ध 353, 409, 419, 420, 465, 467, 468, 471, 472, 474 एवं 120B IPC के धारा के अन्तर्गत कार्रवाई चल रही है।

6. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त आरोपो के संबंध में चल रहे विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपो को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इस संबंध में अपीलकर्त्ता से द्वितीय स्पष्टीकरण प्राप्त कर उक्त पर विचारोपरांत आरोपों को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दण्डोदश पारित किया गया है। इस स्तर पर सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा दंडादेश पारित करने के पूर्व अपीलकर्त्ता को पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है, साथ ही अपीलकर्त्ता, बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत कार्यरत रहे है, ऐसे में उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु I.C.D.S निदेशालय सक्षम प्राधिकार है, न कि संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी। इस बिन्दु पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी I.C.D.S सिवान के पत्रांक 724/प्रो0, दिनांक 24.06.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0 2280 दिनांक 19.05.2014 से I.C.D.S अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग घोषित है, जिसके नियुक्ति प्राधिकार एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होते है।

उपर्युक्त के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा वाद के बिन्दुओं पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं जिला पदाधिकारी, सिवान के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने और अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कंडिका 3(i),(ii),(iii),(iv) एवं (v) में प्रस्तुत तर्क निम्नांकित कारणों से प्रस्तुत वाद हेतु उपयुक्त नहीं है:–

Scanned with OKEN Scanner

(i) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी I.C.D.S सिवान के पत्रांक 724/प्रो0, दिनांक 24.06.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय अधिसूचना सं0 2280 दिनांक 19.05.2014 से I.C.D.S अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग घोषित है, जिसके नियुक्ति प्राधिकार एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी होते है।

(ii) अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर एवं आवश्यक कागजात उपलब्ध कराए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

(iii) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दण्डादेश पारित करने के पूर्व **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005** के सुसंगत प्रावधानों का समुचित पालन किया गया है।

(iv) अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप गंभीर प्रकृति के है जो साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित भी हो चुके है। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद आरोपित कर्मचारी द्वारा बदनीयती से अपना प्रभार नहीं दिया गया जो अंततः आरोपित कर्मी द्वारा सरकारी धन के फर्जी तरीके से निकासी के रूप में सामने आया है।

उपर्युक्त वर्णित कारणो से जिला पदाधिकारी, सिवान के आदेश ज्ञापांक 10मु0/प्रो0, दिनांक 01.09.2016 में किसी संशोधन की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

Scanned with OKEN Scanner